हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in दूरभाष: 0788-2359400

क्र. 3327 /अका./वार्षिक संबद्धता/48/2021 दुर्ग, दिनांक : 05 /01/2021

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.12.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तो के अधीन वार्षिक संबद्धता सत्र 2020–21 के लिए प्रदान की जाती है:–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, जिला–दुर्ग (छ.ग)	**Non Permanent Affiliation**	
		B.Ed.	100
		B.C.A.	30
		B.B.A.	40
		PGDCA	40

निर्देश :

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
3. शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
5. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
6. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिर्वतन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
8. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
9. NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
10. महाविद्यालय को दी गई उक्त संबद्धता NCTE से प्राप्त नवीन मान्यता एवं यदि न्यायालीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय के अधीन होंगा।
11. उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतगर्त अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तो की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 3328 /अका./वार्षिक संबद्धता/48/2021 दुर्ग, दिनांक : 05/01 /2021

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

PRINCIPAL
AGRASEN COLLEGE
DHANORA, DURG (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner